The Uttarakhand Nazul Land Management, Settlement and Disposal Bill, 2021

(Uttarakhand Bill No. ....of 2021)

A

Bill

For better management, settlement, disposal of Nazul land, revenue receipts, affordable housing to economically weaker sections, securing self-employment opportunities, protecting the interests of leaseholders and illegal occupation of Nazul land etc. in the State of Uttarakhand and arrangement of concered incidental matters thereto.

Be it exacted by the Uttarakhand State Legislation Assembly in the seventy second year of the Republic of India as follows:-

Chapter-1

Preliminary

Short title, Extent and Commencement

1.

(1) This Act may be called Uttarakhand Nazul Land Management, Settlement and Disposal Act, 2021

(2) It shall extend to the whole of State (except the Cantonment Board).

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise required:

(a) "Collector" means the Collector of the district;

(b) "Cut-off" means such date as the State Government may notified for the purpose of allotment of free-hold or lease of Nazul land from time to time

(c) "Department" means the Department to the State Government or the Central Government;

(d) 'Development Authority' or 'Authority' means Uttarakhand Housing and Urban Development Authority in relation to the whole of the State and Local Development Authority in relation to any development area, constituted and notified under section 4 of the Uttarakhand Urban and Rural Planning and Development Act, 1973;

(e) "free-hold" means such disposal/execution of Nazul land by which such rights over the Nazul land as may be prescribed in the Rules by the State Government;

(f) "Grant" means Nazul land allotted with fee or without fee to any department of the Central or State Government for the purpose of any individual or institution or Government functions;

(g) "illegal Occupier" means such person or institution who has occupied the Nazul land with valid authorization;

(h) "Lease" means such Nazul lands which have been previously granted by the State Government to any person/institution for residential or commercial or other purposes or shall be provided in accordance with the Rules made under this Act;

(i) "Nazul land" means such land, building or property as defined in the Nazul Rules-Compilation (Manual);

(j) "Act" means the "Uttarakhand Nazul Land Management, Settlement and Disposal Act, 2021;

(k) "Prescribed Authority" means any officer appointed by the State government for the purposes of this Act;

(l) "Rules" means the rules to be made under this Act;

(m) "State Government" means the Government of Uttarakhand or foregoing Government of Uttar Pradesh;

(n) "Municipal Body" means an institution which has been constituted by the State Government.

Work done before the commencement of this Act

3. Any act or thing done in the past in relation to Nazul land by the State Government or its result or the validity of right, ownership, debt, demand, liability etc. shall be deemed to be subject to pre-determined terms and conditions for such period as may be prescribed. The provisions of this Act Shall come into force after the expiration of the prescribed period of validity.

Transfer of Property & Act. 1882 shall not apply on the Government grants/ leases

4. Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882, every grant made by or on behalf of the State Government in favour of any grant made in respect of Nazul land before or after the said Act or applied to any transfer of property or to any interest vested in it, and the transfer shall be deemed to have been made, as if the Transfer of Property Act, 1882 had not been passed.

Overriding Effect of the Act

5. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

CHAPTER II

Power of the State Government to manage, settle and dispose of Nazul land

power of allotment, management, free-hold or lease of the Nazul land	06	The State Government may manage, settle and dispose of Nazul land, as per such terms and conditions, as may be prescribed: (a) Nazul land may be free-hold or leased for public purpose in favour of Department of Central Government, Government/Semi-Government Department of the State Government and Corporation / Undertaking/ Establishment and local bodies and development authority etc. (b) Permissibility of free-hold or lease renewal of leaseholders or their legal heirs, who have been allotted Nazul land as per rules earlier, may be allowed as per the prescribed procedure. (c) Lease Allotment or free-hold of Nazul land may be given to illegal occupiers on Nazul land for a period prescribed by the State Government. (d) Lease Allotment or free-hold of Nazul land may be made to non-government / state aided/ private educational institutions, hospitals / nursing homes etc. as per the prescribed procedure. (e) Land for public purposes such as building, park, parking and toilet etc. shall be arranged from available Nazul land. (f) Nazul land used for park, parking, toilet or other public purposes shall not be given free-hold or lease allotment etc.
Management of Nazul land held by the Government or its any department	7.	The management of Nazul land held / occupied by the Government or any of its departments or institutions shall be done in accordance with the directions given by that department or institution or State Government. Such Nazul land may be reserved for Government use. Inter departmental transfer of Nazul land/property held by any government department shall be done with the permission of the State Government.

Cancellation of lease or grant and re-entry of the State Government and new management / renewal of lease

8. (1) The lease or grant of Nazul land allotted by this Act or earlier, shall be deemed to be automatically canceled at the end of the allotment period:

Provided that if the period of lease or grant is extended or free-hold or other arrangement is made under such procedure as may be prescribed by the State Government, then, such lease or grant shall not be deemed to be cancelled.

(2) In case of contravention of the terms of the lease or grant or any other reason the State Government is satisfied that the lease or grant may be canceled by such procedure as may be prescribed, So the State Government shall automatically re-entry on the annulled/ cancelled leases or grants of Nazul land and such Nazul land shall be vested in the Government free from all encumbrances. Such land or property may be entrusted for such interim period to such officer or Government institution as may be authorized by the State Government or any officer appointed in this behalf under its control and direction or the new management of such land shall be made by the State Government or as per the terms and conditions as prescribed by any officer appointed for this work.

Power Of State Government

9. The State Government may amend, alter or repeal any order or instruction or direction or any other action issued by any prescribed authority at any time.

Power to issue directions by the state government

10. The State Government may issue directions from time to time for carrying out the provisions and purposes of this Act or the rules made thereunder.

The cut-off date for allotted lease: or free-hold

11. The cut-off date for illegal occupiers to be allotted lease or free-hold to be allowed or free-hold on Nazul land shall be decided by the State Government.

Removal of illegal possession

12. After the date / cutoff date fixed by the State Government to possession of the persons who have not free hold to the Nanul land or allotment of lease or renewed the lease or the said due date/ cutoff date, the persons occupying the Nazul land after this, may be evicted under the procedure prescribed in the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized

Occupants) Act, 1972 (as applicable in the Uttarakhand State of State).

CHAPTER III

Miscellaneous

Proceedings taken in good faith

13. No civil or criminal suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or any person exercising any powers or discharging any functions or performing any duties which is done in good faith or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder or for any damage or possible loss caused by virtue of such act.

Power of remove difficulties

14. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary expedient for removing the difficulty: Provided that no order shall be made after the expiry of a period of three years from the promulgation of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1), as soon as may be after it is made, shall be laid before the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be objected to in any court on the ground that any difficulty specified in the said sub-section did not exist or is not required to be removed.

Power to make Rules

15. The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

Repeal and savings

16. After the promulgation of the Ordinance and the rules made thereunder, the proceedings related to free-hold or lease allotment or lease renewal etc. shall be governed by this Act or the rules made thereunder and the policies in effect in respect of Nazul land in the past shall be deemed to be automatically repealed/cancelled.
(2) Any action taken or pending any proceedings taken State Government under the policy or other directions/orders from time to time before the issue of

this Act shall be deemed as if this Act has not been enacted.

--------------------x--------------------

उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः   वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि (नगरीय एवं ग्रामीण) के बेहतर प्रबंधन, व्यवस्थापन, निस्तारण, राजस्व प्राप्तियॉ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती आवास, स्वरोजगार के अवसर को सुरक्षित करने, पट्टाधारकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध अध्यासियों के कब्जे की नजूल भूमि इत्यादि तथा इससे संबधित आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत के गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण अधिनियम, 2021" होगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य (छावनी परिषद् को छोड़कर) में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2\. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) **'कलेक्टर'** से जिला के कलेक्टर अभिप्रेत हैं ;

(ख) **'कट ऑफ डेट'** से ऐसी तिथि अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार नजूल भूमि के फ्री—होल्ड अथवा पट्टा आवंटन के प्रयोजनार्थ समय—समय पर अधिसूचित करें;

(ग). **'विभाग'** से राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विभाग अभिप्रेत है;

(घ) **'विकास प्राधिकरण'** अथवा 'प्राधिकरण' से सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण और किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरण, जो कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अधीन गठित एवं अधिसूचित हो, अभिप्रेत है;

(ड) **'फ्री–होल्ड'** से नजूल भूमि के ऐसे व्ययन/निष्पादन अभिप्रेत है, जिससे नजूल भूमि पर ऐसे अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जैसा कि राज्य सरकार नियमावली के द्वारा विहित करें;

(च) **'अनुदान'** से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा शासकीय कार्यों के प्रयोजनार्थ केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग को सशुल्क अथवा निःशुल्क आवंटित नजूल भूमि अभिप्रेत है;

(छ) **'अवैध अध्यासी'** से ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था अभिप्रेत हैं, जो बिना किसी विधिक अधिकारिता के नजूल भूमि पर काबिज हैं;

(ज) **'पट्टा'** से ऐसे नजूल भूमि अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति/संस्थान को आवासीय अथवा व्यवसायिक अथवा अन्य प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया हो अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी नियमावली के अनुसार प्रदान की जाए;

(झ) **'नजूल भूमि'** से ऐसी भूमि, भवन या सम्पत्ति अभिप्रेत है, जैसा नजूल नियम–संग्रह (मैनुअल) में परिभाषित हो;

(ञ) **'अधिनियम'** से "उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण अधिनियम, 2021" अभिप्रेत है;

(ट) **'विहित प्राधिकारी'** से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) **'नियमावली'** से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाने वाली नियमावली अभिप्रेत है;

(ड) **'राज्य सरकार'** से 'उत्तराखण्ड सरकार' अथवा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) **'नगर निकाय'** से वह संस्था अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है;

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये कार्य

3. राज्य सरकार द्वारा नूजल भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में कृत किसी कार्य या बात या उसके परिणाम अथवा अधिकार, स्वामित्व, ऋण, माँग, देयता इत्यादि की विधिमान्यता यथानिर्धारित अवधि तक पूर्व निर्धारित शर्तो एवं निबंधनों के अधीन समझी जायेगी। विधिमान्यता की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर इस अधिनियम के प्राविधान लागू हो जायेंगे।

सम्पत्ति–अंतरण अधिनियम, 1882 सरकारी अनुदानों/पट्टों पर लागू नहीं होगा

4. सम्पत्ति–अंतरण अधिनियम, 1882 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से उक्त अधिनियम के पूर्व या उसके पश्चात् नजूल भूमि के सम्बन्ध में कृत किसी अनुदान के पक्ष में लागू, अथवा किसी संपत्ति अंतरण या उसमें निहित किसी हित पर लागू प्रत्येक अनुदान और अंतरण इस रूप में किया गया समझा जायेगा, मानो सम्पत्ति–अंतरण अधिनियम, 1882 पारित ही न किया गया हो।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

5. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य उपबंध अथवा किसी बात के असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अध्याय–दो

राज्य सरकार की नजूल भूमि का प्रबंधन, व्यवस्थापन और निस्तारण करने की शक्ति

नजूल भूमि के प्रबंधन, फ्री–होल्ड अथवा पट्टे पर आवंटित करने की शक्ति

6. राज्य सरकार नजूल भूमि का प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार कर सकेगी, जैसा कि विहित किया जायः–

(क) केन्द्र के विभाग, राज्य सरकार के शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग तथा निगम/उपक्रम/प्रतिष्ठान और स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों आदि के पक्ष में नजूल भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फ्री–होल्ड अथवा पट्टा किया जा सकेगा।

(ख) पट्टाधारकों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों,

जिन्हें पूर्व में नियमानुसार नजूल भूमि का पट्टा आवंटित किया गया हो, को फ्री–होल्ड अथवा पट्टा नवीनीकरण की अनुमन्यता विहित प्रकियानुसार दिया जा सकेगा।

(ग) नजूल भूमि पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि से काबिज अवैध अध्यासियों को नजूल भूमि का पट्टा आवंटन अथवा फ्री–होल्ड विहित प्रकियानुसार दिया जा सकेगा।

(घ) अशासकीय / राज्य सहायतित / निजी शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों / नर्सिंग होम आदि को नजूल भूमि का पट्टा आवंटन अथवा फ्री–होल्ड विहित प्रकियानुसार किया जा सकेगा।

(ङ.) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा– भवन, पार्क, पार्किंग एवं शौचालय आदि हेतु भूमि की व्यवस्था उपलब्ध नजूल भूमि में से की जायेगी।

(च) पार्क, पार्किंग, शौचालय अथवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजन में प्रयुक्त नजूल भूमि को फ्री–होल्ड अथवा पट्टा आवंटन इत्यादि नहीं किया जायेगा।

सरकार या उसके किन्हीं विभागों द्वारा धारित नजूल भूमि का प्रबंधन

7. सरकार या उसके किन्हीं विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा धारित / अध्यासित नजूल भूमि का प्रबंधन उस विभाग अथवा संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार किया जायेगा। ऐसी नजूल भूमि, सरकारी उपयोग हेतु आरक्षित की जा सकेगी। किसी सरकारी विभाग द्वारा धारित नजूल भूमि / सम्पत्ति का अंतर्विभागीय अंतरण, राज्य सरकार की अनुज्ञा से किया जायेगा।

पट्टा या अनुदान का निरस्तीकरण एवं राज्य सरकार का पुनः प्रवेश एवं नवीन प्रबंधन / पट्टे का नवीकरण

8. (1) इस अधिनियम या इससे पूर्व आवंटित नजूल भूमि का पट्टा या अनुदान, आवंटन अवधि समाप्त होने पर स्वतः रद्द हुआ समझा जायेगाः

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार द्वारा यथाविहित प्रकिया के तहत् पट्टा या अनुदान की अवधि को विस्तारित कर दिया जाये अथवा उसे फ्री–होल्ड कर दिया जाये अथवा अन्य व्यवस्था कर दी जाये, तो ऐसा पट्टा या अनुदान रद्द नही समझा जायेगा।

(2) पट्टे या अनुदान के निबंधनों का उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी अन्य कारण से राज्य सरकार का समाधान हो जाने पर यथाविहित प्रक्रिया द्वारा पट्टे अथवा अनुदान को निरस्त किया जा सकेगा। इस प्रकार नजूल भूमि के रद्द/निरस्त पट्टों अथवा अनुदान पर राज्य सरकार का राज्य सरकार का स्वतः पुनः प्रवेश हो जायेगा तथा ऐसी नजूल भूमि समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी। ऐसी भूमि या सम्पत्ति को ऐसी अंतरिम अवधि के लिये ऐसे अधिकारी अथवा सरकारी संस्था को सौंपा जा सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार अथवा इस हेतु नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसके नियंत्रण एवं निदेश के अधीन प्राधिकृत किया जाये अथवा ऐसी भूमि का नवीन प्रबंधन राज्य सरकार अथवा इस कार्य के लिये नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा यथाविहित शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार किया जायेगा।

राज्य सरकार की शक्ति

9. राज्य सरकार, किसी विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या अनुदेश या निर्देश या अन्य किसी कार्यवाही को किसी भी समय संशोधित, परिवर्तित या निरसित कर सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी करने की शक्ति

10. राज्य सरकार इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये समय–समय पर निदेश जारी कर सकेगी।

पट्टा आवंटन अथवा फ्री–होल्ड हेतु 'कट ऑफ डेट'

11. अवैध अध्यासियों को पट्टा आवंटन अथवा फ्री–होल्ड अनुमन्य किये जाने हेतु नजूल भूमि पर उनके काबिज होने की 'कट ऑफ डेट' का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

अवैध कब्जा हटाये जाने की प्रक्रिया

12. राज्य सरकार द्वारा नियत तिथि/'कट ऑफ डेट' के उपरांत नजूल भूमि को फ्री–होल्ड अथवा पट्टा आवंटन अथवा पट्टा नवीनीकरण न कराने वाले व्यक्तियों के कब्जे की नजूल भूमि से उन्हें अथवा उक्त नियत तिथि/'कट ऑफ डेट' के पश्चात नजूल भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में विहित प्रक्रिया के अधीन बेदखल किया जा सकेगा।

अध्याय–तीन

प्रकीर्ण

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

13. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात अथवा ऐसे कार्य के आधार पर हुई किसी क्षति या संभावित हानि के लिए कोई भी सिविल या दाण्डिक वाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने वाले अथवा किन्ही कृत्यो का निर्वहन करने वाले या कर्तव्यो का निर्वहन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नही की जायेगी।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रख्यापित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

15. राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

निरसन और व्यावृति

16. (1) इस अधिनियम के प्रख्यापित होने तथा तद्धीन नियमावली गठित हो जाने के उपरांत फ्री–होल्ड अथवा पट्टा आवंटन अथवा पट्टा नवीनीकरण से संबंधित कार्यवाही इत्यादि इस

अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गई नियमावली से शासित होगी तथा पूर्व में नजूल भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नीतियां स्वतः निरसित/निरस्त समझी जायेंगी।

(2) इस अधिनियम के जारी होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नजूल नीति अथवा अन्य निर्देशों/आदेशों के अंतर्गत की गई कोई कार्रवाई अथवा लंबित किसी कार्यवाही के लिये यह समझा जायेगा कि मानो यह अधिनियम ही नहीं किया गया है।

————————x————————

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड़ (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का प्रतिस्थानी विधेयक मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय सन्निहित नहीं है।

मदन कौशिक
मंत्री

उद्देश्य और कारण

यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन के बैनर तले शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित एवं स्थापित करने के उद्देश्य से आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय की प्रायोजिक संस्था द्वारा अपना नाम यूनिसन एजुकेशन फाउण्डेशन करती है, उक्त विश्वविद्यालय की प्रयोजिक संस्था के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री